115

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 950–पीबीआर/2004 विरूद्ध आदेश दिनांक 30–4–2004 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर, प्रकरण कमांक 108/अपील/2003–04.

....

सुरेश जैन पुत्र श्री मिलापचंद्र जैन,
निवासी सूबे की पायगा लश्कर,
जिला ग्वालियर

.... आवेदक

विरूद्ध

1–कन्हैयालाल पुत्र श्री रामचरन
2–सोनू उर्फ सोनपाल पुत्र श्री बैजनाथ
निवासीगण वीरपुर परगना व जिला ग्वालियर

.... अनावेदकगण

....

श्री ओ.पी.शर्मा, अभिभाषक–आवेदक

....

:: आदेश ::

(आज दिनांक 25/1/12 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल ''संहिता'' कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–4–2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक द्वारा तहसीलदार के समक्ष एक आवेदन पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम वीरपुर स्थित भूमि रकबा 3 बीघा 7 विस्वा में से 1/2 भाग को न्यायालय प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 द्वारा प्रकरण कमांक 47ए/1983 ई.दी. में निर्णय दिनांक 13–8–87 को पारित किया गया था तथा उसी के तारतम्य में न्यायालय द्वारा उपरोक्त 1/2 भाग को रजिस्ट्री कमांक 2156 दिनांक 30–9–1997 को उसके हित में विकय किया गया, अतएव उक्त विकय पत्र के आधार पर नामान्तरण किये जाने की मॉग की गई । तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक 03/अ–6/2000–01 दर्ज कर दिनांक 19–12–2000 को नामान्तरण आदेश दिये गये । तहसीलदार के आदेश से व्यथित होकर अनावेदक कमांक 1 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई, जो दिनांक 17–10–2002 से स्वीकार की जाकर तहसील न्यायालय का आदेश अपास्त किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अपर आयुक्त के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 30–4–2004 से अपील अस्वीकार की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि विवादित भूमि बैजनाथ के स्वामित्व की थी जिसका आवेदक के हित में विकय अनुबंध पत्र सम्पादित किया गया था । बैजनाथ द्वारा विकय पत्र सम्पादित न करने के कारण आवेदक ने उसके विरूद्ध व्यवहार न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया था जिसमें आवेदक के पक्ष में डिकी पारित की गई थी तथा व्यवहार न्यायालय द्वारा विकय पत्र सम्पादित किया गया था जिसके आधार पर तहसील न्यायालय द्वारा आवेदक का नामान्तरण करने में वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई थी, जिसे अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों द्वारा निरस्त करने में अन्यायपूर्ण एवं अवैधानिक कार्यवाही की गई है, जो निरस्त किये जाने योग्य है ।

4/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा दिनांक 14–9–1995 को आदेश पारित कर व्यवहार न्यायालय के आदेश के पालन में अनावेदकगण के पक्ष में नामान्तरण आदेश पारित किया गया है। उपरोक्त तथ्यों को छिपाकर आवेदक द्वारा तहसील न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 19–12–2000 को अपने पक्ष में नामान्तरण आदेश पारित करा लिया गया है, जिसे निरस्त करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है और अनुविभागीय अधिकारी के विधिसंगत आदेश की पुष्टि करने में अपर आयुक्त द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–4–2004 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर